



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-2, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अध्यादेश)

लखनऊ, सोमवार, 2 फरवरी, 2026

माघ 13, 1947 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन
विधायी अनुभाग-1

संख्या 11/79-वि-1-2026-2-क-4-2026

लखनऊ, 2 फरवरी, 2026

अधिसूचना
विविध

भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2026), जिससे नगर विकास अनुभाग-1 प्रशासनिक रूप से सम्बन्धित है, प्रख्यापित किया गया है जो इस अधिसूचना द्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 4 सन् 2026)

[भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित]

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:-

1-यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश नगर पालिका (संशोधन) अध्यादेश, 2026 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश
अधिनियम संख्या 2
सन् 1916 की
धारा 8 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 8 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में,
शब्द और प्रतीक 'कुष्ठाश्रम' निकाल दिये जायेंगे।

आनंदीबेन पटेल
राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,
जे० पी० सिंह-II,
प्रमुख सचिव।

No. 11(2)/LXXIX-V-1-2026-2-ka-4-2026
Dated Lucknow, February 2, 2026

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Palika (Sanshodhan) Adhyadesh, 2026 (Uttar Pradesh Adhyadesh Sankhya 4 of 2026) promulgated by the Governor. Nagar Vikas Anubhag-1 is administratively concerned with the said Ordinance.

THE UTTAR PRADESH MUNICIPALITIES (AMENDMENT)
ORDINANCE, 2026

(U.P. ORDINANCE NO. 4 OF 2026)

[Promulgated by the Governor in the Seventy seventh Year of the Republic of India]

AN

ORDINANCE

further to amend the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916.

WHEREAS the State Legislature is not in session and the Governor is satisfied that the circumstances exist which render it necessary for her to take immediate action;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by clause (1) of Article 213 of the Constitution of India, the Governor is pleased to promulgate the following Ordinance:—

Short title

1. This Ordinance may be called the Uttar Pradesh Municipalities (Amendment) Ordinance, 2026.

Amendment of
Section 8 of U.P.
Act no. 2
of 1916

2. In clause (b) of sub-section (1) of Section 8 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916, the words and symbol 'leper's homes', shall be *omitted*.

ANANDIBEN PATEL
Governor,
Uttar Pradesh.

By order,
J. P. SINGH-II,
Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 364 राजपत्र—2026—(1066)—599 प्रतियां—(डी०टी०पी० / ऑफसेट)।
पी०एस०यू०पी०—ए०पी० 151 सा० विधायी—2026—(1067)—300 प्रतियां—(डी०टी०पी० / ऑफसेट)।